

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)



सामूहिक बीमा नीति (केजुअल लेबर्स)

GROUP INSURANCE POLICY
(CASUAL LABOURS)

सामूहिक बीमा (केजुअल लेबर्स)
GROUP INSURANCE (CASUAL LABOURS)

सागर — 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

नस्ति क्रमांक :.....

अभिलेख क्रमांक :.....

कार्यालयीन टीप एवं आदेश

25-7-2017

विषय:- न्यूनतम वेतनमान प्राप्त दे.वे.भो. (अस्थायी) कर्मचारियों को बिरला सन्लाइफ इंशोरेंस बीमा का लाभ प्राप्त करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न आवेदन दिनांक 24.4.2017 एवं 25.5.17 में विश्वविद्यालय में कार्यरत न्यूनतम वेतनमान प्राप्त (दे.वे.भो.) अस्थायी 284 कर्मचारियों को बिरला सन्लाइफ इंशोरेंस बीमा का लाभ व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसमें कर्मचारी व विश्वविद्यालय के बीच व्यक्तिगत शर्तों के अनुसार बीमा का लाभ प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। बिरला सन्लाइफ द्वारा संलग्न दस्तावेज सम्मिलित किए गए हैं।

- 1 प्रस्तुत आवेदन अनुसार व्यक्तिगत तौर पर बीमा सुरक्षा प्राप्त करने हेतु कर्मचारी स्वतंत्र है।
- 2 आवेदन में कर्मचारी व विश्वविद्यालय के बीच बीमा का लाभ व्यक्तिगत शर्तों का बीमा सुरक्षा हेतु विश्वविद्यालय से क्या अपेक्षा है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

अतएव पत्र द्वारा आवेदनकर्ता से यह पूछा जाना उचित होगा कि वे विश्वविद्यालय से क्या अपेक्षा चाहते हैं।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

[Signature]
कार्यालय सहायक
भुगतान शाखा

अनुभाग अधिकारी(वित्त)

[Signature]
J.R. (P.R.A.)
F.O. (P.G.)
J.R. (P.A.)

P.T.O

[Signature]
5/7/17
6/7/2017

- विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन (न्यूनतम वेतनमान में न्यूनतम पर कार्यरत) कर्मचारियों ने अनैकोंवा FBLIC की सहायता हेतु विश्वविद्यालय से निवेदन किया है। कार्य परिषद द्वारा FBLIC के लिए जो स्वीकृति दी है; उसके अनुसार यह व्यवस्था केवल Permanent कर्मचारियों के लिए है। दैनिक वेतन को यह लाभ नहीं मिल सकता है।
- वि० वि० ने इस संबंध में GAS Scheme के तहत LIC से संपर्क किया था, किन्तु वर्तमान GAS Scheme LIC में है। उसमें बीमा तो है और किया जाता है किन्तु राशि refund नहीं किया जाता है।
- इन दैनिक कर्मचारियों ने निजी बीमा कंपनी Birla Sun Life Insurance से संपर्क किया तथा कंपनी की representative एवं कर्मचारियों की कुछ सदस्यों ने संलग्न वागम उपलब्ध कराया। उसके अनुसार—
प्रथम, द्वितीय वर्ष तक निरंक तृतीय वर्ष से बढ़ते वर्ष 30% से अंतिम वर्ष (60 वर्ष या अधिक) तक लगभग 98% तक राशि refund करेगा तथा मृत्यु की दशा में बीमा claim पूर्ण होने की न्यूनतम 5000000=00 से 8000000=00 देगा (Birla Sun Life द्वारा जो शर्त प्रस्तुत किया है) उसके अनुसार है।
- चर्चा के दौरान सूचित किया कि उक्त योजना के लिए अधिकतम कर्मचारी सहमत हैं। यदि ऐसा होता है तो दैनिक कर्म (Min. pay scale of pay) उक्त बीमा Policy में शामिल होता है; उनको दिने जाने वाले वेतन से काटने की सहमति यदि विश्वविद्यालय चाहे तो देखा जा सकता है; इससे विश्वविद्यालय के साथ कोई agreement नहीं होना चाहिए क्योंकि Birla Sun Life

Life Insurance Company एक Private Company है। इन कर्मचारियों यदि चाहें उनके साथ Birla Company का करार हो सकता है बि०बि० को उक्त करार/agreement में लेना-देना नहीं होना चाहिए।

कृपया अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

~~विचारार्थ~~

for consideration and approval

6/7/2017

6/7/17

if the ~~conditions~~ of employees and the company agreed upon the condition

R

Member/ve
A

Member
12/7/17

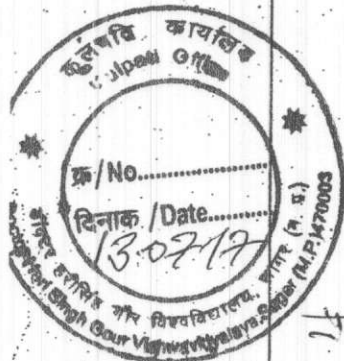
14/7/17

16

Member
18/7/17

18/8/17

Sh. Jai Singh Kaur



न्यूनतम वेतन मानपर कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों का विरला सनलाइड बीमा किया जा रहा है जो कर्मचारी स्वतः बीमा करवाना चाहते हों वे सेल में चयन फार्म भर कर वेतन शाखा में जमा करें।

18/8/17

18/8/17



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

क्र. : वित्त-लेखा/2017/523

दिनांक: 21-07-2017

// सूचना //

विश्वविद्यालय के समस्त न्यूनतम वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन दि. 24.04.2017 को माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिससे जिन कर्मचारियों को Birla Sunlife Insurance Scheme का लाभ प्राप्त करना है, वह वेतन से मासिक किश्त राशि काटने हेतु सहमति पत्र दि. 20.08.2017 तक आवश्यक रूप से वित्त एवं लेखा शाखा में प्रस्तुत करें, जिससे सभी कर्मचारियों की प्रक्रिया एक साथ की जा सके।

कंपनी के संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रति अनुसार लाभ/नियम निम्नानुसार है :

योजना का लाभ/नियम Birla Sunlife Company के दस्तावेजों के अनुसार है :

1. प्रत्येक कर्मचारी से प्रतिमाह ₹ 1000/- से ₹ 1200/- तक की राशि Birla Sunlife Insurance Scheme के तहत उनके वेतन से कटौती की जावेगी।
2. Birla Sunlife Insurance Scheme के तहत प्रतिमाह अंशदान की कटौती कर्मचारी के सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र अथवा अन्य की स्थिति में सेवा अवधि तक लगातार जारी रहेगी।
3. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र अथवा अन्य कारणों की अवस्था में कर्मचारी की मूल जमा समस्त अंशदान राशि बिना ब्याज के योजना के नियमानुसार उसे लौटा दी जावेगी।
4. कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर Risk Cover ₹ 5,00,000/- से ₹ 8,00,000/- तक योजना की सारिणी अनुसार रहेगी

Prof. I/C - वित्ताधिकारी
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलपति जी के निज सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष।
3. समस्त अधिकारी/प्रभारी।
4. वित्ताधिकारी/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
5. सक्षम प्राधिकारी-कृपया लेटर हेड पर कंपनी द्वारा देय लाभों का विवरण प्रस्तुत करें। (हिन्दी भाषा में)
6. व्यक्तिगत नस्ती।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त न्यूनतम वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से टीप करावें।



Birla Sun Life
Insurance

बिरला सनलाईफ इंश्योरेंस कंपनी

फियूचर गार्ड प्लान संकट के समय आप और आपके परिवार को अपनी जरूरतों और महत्वकक्षाओं को पूर्ण करने का लाभ देता है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्णित लाभ / नियम और शर्तों का विवरण क्रमानुसार है।

1. कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर रिस्क कबरेज 500000/- से 800000 लाख तक योजना के (बेनीफिट इलस्ट्रेशन) के अनुसार आयु के अनुसार।

2. कर्मचारियों के जमा किये गये प्रीमियम का प्लान ए और बी के अनुसार,

लाभ - ए- 100/- प्रतिशत जमा की गई राशि का भुगतान.

बी- 110/- प्रतिशत से 150% प्रतिशत तक जमा की गई राशि का भुगतान.

3. कर्मचारी अपने भुगतान के अनुसार प्लान की भुगतान अवधि चुन सकता है जो कि 10,15,20,25, और 30 वर्षों की अवधि रखी जा सकती है।

4. कर्मचारी अपने सुविधा के अनुसार प्रीमियम भुगतान विकल्प चुन सकता है जो कि वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, तीनमाही और मासिक रख सकता है।

5. पालिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर आश्वसित राशि नामिनी को अदा की जायेगी।

6. कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार ^{अर्द्धमासिक} लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैं।

1. अतिरिक्त दुर्घटना लाभ और शारीरिक अपंगता लाभ(पूर्णरूपेण या अर्द्धरूपेण)
2. गंभीर बीमारियों में उपर्युक्त लाभ हेतु (हृदय घात, गुरदे या मुख्य प्रत्यारोपण, कर्क रोग, मस्तिक अघात, लकवा)

3. शूलस चिकित्सा लाभ

4. चिकित्सालय संबंधी लाभ(भर्ती होने की स्थिति में भुगतान लाभ)

7. **कर लाभ :-** भुगतान की गई प्रथम किस्त से भारतीय आयकर की धारा 1961 एक्ट की धारा 80 सी का लाभ और संपूर्ण परिवक्ता राशि पर धारा 10(10)डी का लाभ आयकर विभाग अनुमोदन के अनुसार.

दिनांक 04/07/2017

शाखा प्रबंधक

बिरला सनलाईफ

इंश्योरेंस कंपनी

MUKESH SINGH RACHARYA

BM-SAGAR BRANCH

EMP CODE 52407

Website www.insurance.birlasunlife.com
Corporate website www.abfsg.com

ADITYA BIRLA



FINANCIAL SERVICES